

कार्यालय - प्राचार्य, शास. इंदरु केवट कन्या महाविद्यालय कांकेर,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

AISHE CODE - 24967

Phone No.07868-223904 Website -<http://ggcknk.in/> Mail Id -ggckanker@gmail.com



क्रमांक / 310 / स्था. / 2025

कांकेर दिनांक 26 / 07 / 2025

विज्ञापन

// अतिथि व्याख्याता पद हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारूप //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक / 289 / 01 / आउशि / राज.स्था. / 2025 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23 / 07 / 2025 के निर्देशों के परिपालन में छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के ज्ञापन क्रमांक-एफ-3-54 / स्था / 2020 / 38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20.06.2024 के द्वारा पारित अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अंतर्गत (संस्थान का नाम-शासकीय इंदरु केवट कन्या महाविद्यालय कांकेर) में विषय अतिथि व्याख्याता में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित आर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 03 / 08 / 2025 को सांय 04:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। विस्तृत जानकारी के लिए महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट (<http://www.ggcknk.in>) में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

विषय / पदों का विवरण:-

क्रमांक	विषय	रिक्त पदों की संख्या
		प्राध्यापक
1	अंग्रेजी	01
	योग:-	01

प्राचार्य

शासकीय इंदरु केवट कन्या
महाविद्यालय कांकेर (छ.ग.)
Distt. U.E. Kanker (C.G.)

क्रमांक / 311 / स्था. / 2025

कांकेर दिनांक 26 / 07 / 2025

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर, नवा रायपुर सादर को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अपर संचालक उच्च शिक्षा विभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय..... की ओर प्रेषित कर लेख है कि अपने महाविद्यालय के सूचना पटल में चरप्पा करने का कष्ट करें।
5. स्था. / लेखा शाखा शासकीय इंदरु केवट कन्या महाविद्यालय कांकेर छ.ग.।

प्राचार्य

शासकीय इंदरु केवट कन्या
महाविद्यालय कांकेर (छ.ग.)
Girls' College Kanker
Distt. U.E. Kanker (C.G.)

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता:-

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनिमय, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथपाल सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु - 1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ-साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य-विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
3. आयु सीमा :- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
4. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

टीप :- संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तें :-

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10 वीं, 12 वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी.एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक - 03/08/2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणनक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक..... को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाइट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि..... तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक को किया जावेगा जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाइट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं होगा।

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा:-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/-	300/-
2	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41,600/-प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (41,600/-प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/-	350/-
4	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50,000/-प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35,000/-प्रतिमाह अधिकतम)
(स) दैनिक मानदेय			
5	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/ अतिथि क्रीडा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/-प्रतिदिन (40,000/-प्रतिमाह अधिकतम)	1200/-प्रतिदिन (30,000/- प्रतिमाह अधिकतम)

- आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता विश्वविद्यालय/प्राचार्य, शासकीय इंदरू कैंवट कन्या महाविद्यालय कांकर छ.ग. एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।
- इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा। औश्र वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।
- संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
- इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
- कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
- यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे अगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

प्राचार्य
26.03-25
शासकीय इंदरू कैंवट कन्या
महाविद्यालय कांकर (छ0ग0)
Govt. Indira Kankar
Girls' College Kanker
Distt. U.E. Kanker (C.G.)